वेबसाइट हेतु

म.प्र.लोक सेवा आयोग से वर्ष 2017 में चयनित स्नातक (MBBS) चिकित्सकों की ऑनलाईन पदस्थापना हेतु पंजीयन/च्वॉइस फिलिंग सूचना एवं दिशा–निर्देश

1.	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2017 में चयनित स्नातक चिकित्सकों की पदस्थापना हेतु ऑनलाईन पंजीयन एवं च्वाईस फिलिंग एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से प्रथम–चरण दिनांक 07.07.2017 से 10.07.2017 एवं द्वितीय चरण दिनांक 13.07.2017 से 16.07.2017 तक आयोजित की गई थी। उक्त अवधि में आयोग द्वारा चयनित 170 चिकित्सक काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे।
2.	अतः अनुपस्थित चिकित्सकों की पदस्थापना (पंजीयन एवं च्वाईस फिलिंग) हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अंतिम चरण की काउंसलिंग दिनांक 01.08.2017 से 16.08.2017 तक **(www.mponline.gov.in)** अथवा एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से आयोजित की जावेगी।
3.	चिकित्सकों द्वारा प्रथमतः पंजीयन करना है एवं पंजीयन उपरांत च्वॉइस फिलिंग की जानी है। पंजीयन दिनांक 01.08.2017 (दोपहर 12:00) से दिनांक 10.08.2017 (रात्रि 12:00) तक तथा पंजीयन उपरांत च्वॉइस फिलिंग दिनांक 12.08.2017 (दोपहर 12:00) से दिनांक 16.08.2017 (रात्रि 12:00) तक आयोजित की जाती है।
4.	चिकित्सकों द्वारा ऑनलाईन पंजीकरण एवं स्थान चयन (च्वॉइस फिलिंग) हेतु एम.पी. ऑनलाईन अथवा एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क को कोई भुगतान नही किया जाना है। काउंसलिंग ब्यय का भुगतान मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।
5.	शासकीय सेवा हेतु चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिये व्यावसायिक अवरोध क्षतिपूरक भत्ते का प्रावधान सामान्य एवं अधिसूचित क्षेत्रों में पृथक–पृथक रखा गया है तथा प्रदेश के 89 आदिवासी अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने पर सेवारत अभ्यर्थी के रूप में पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अधिभार अंकों की पात्रता होगी।
6.	ऑनलाईन प्रक्रिया में सम्पूर्ण जानकारी भरते समय चिकित्सकों द्वारा **SUBMIT** बटन दबाने के उपरांत आवश्यक रूप से **SUCCESFUL** रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करें। सम्पूर्ण ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण कर स्थान चयन करने के पश्चात् कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
7.	ऑनलाईन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर या प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिये एम.पी.ऑनलाईन के हेल्प डेस्क नंबर 0755–4019400 पर संपर्क कर सकते हैं।

आदेशानुसार
संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश